

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी 2016

विषय:- एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस0एच0-31 के किमी0 26.088 की बांयीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 (संशोधित 0.075038 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/29/2016/एफसी/33, दिनांक 18-4-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस0एच0-31 के किमी0 26.088 की बांयीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 (संशोधित 0.075038 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-550/एटा/13615/यूपी/099/2015, दिनांक 12-9-2016 द्वारा संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 12-9-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-2119(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।